

## कार्यकारी सार

आयकर विभाग (आईटीडी) निर्धारण और लेखांकन कार्यों के आंतरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्ष हैं। आयकर विभाग में मूल्यांकन कार्य की लेखापरीक्षा अतिरिक्त आयकर आयुक्त (अति.सीआईटी), विशेष लेखापरीक्षा दल (एसएपी) और आंतरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) द्वारा की जाती है और लेखांकन और वित्तीय मामलों की लेखापरीक्षा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा की जाती है।

आयकर विभाग में निर्धारण कार्यों की आंतरिक लेखापरीक्षा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है और इसने निर्धारण और लेखापरीक्षा कार्यों के बीच बिना किसी अतिच्छादन के स्वतंत्र कार्य के तौर पर महत्व प्राप्त किया है। आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्राधिकरणों को लेखापरीक्षा कार्य के निष्पादन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित भूमिका देने के लिए आयकर विभाग में एक पृथक लेखापरीक्षा ढाँचे की व्यवस्था करने के लिए 1 जून 2007 से आयकर विभाग में एक नई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली लागू की है। पर्यवेक्षी प्राधिकरणों की भूमिकाएं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के 2007 के निर्देश संख्या 3 और 2013 के संख्या 15 में परिभाषित की गई हैं।

हमने “आयकर विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के कार्यान्वयन” पर निम्न आश्वासन को प्राप्त करने के उद्देश्य से निष्पादन लेखापरीक्षा की क्या (क) आंतरिक लेखापरीक्षा, सीबीडीटी द्वारा निर्धारित अनुपालन, निर्धारण और अन्य परस्पर संबंधित गतिविधियों संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में सीबीडीटी और वरिष्ठ प्रबंधन को उचित आश्वासन प्रदान करने में प्रभावी है; (ख) आंतरिक लेखापरीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है और (ग) यहां आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की सिफारिशों की आगे कार्यवाही की प्रणाली प्रभावी और सक्षम है।

वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 और लेखापरीक्षा की तारीख (दिसम्बर 2014) तक के दौरान हमने आईटीडी की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग और सीबीडीटी के प्र.सीसीए के किए गए कार्य को शामिल किया है। हमने सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभागों से संबंधित नियंत्रण मुद्दों और सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभागों का प्रशासन कर रही क्षेत्रीय पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ साथ डीआईटी (लेखापरीक्षा) के स्तर पर निरीक्षण प्रणाली की जांच भी की है। हमने सितम्बर 2014 में सीबीडीटी के साथ ‘शुरुआती बैठक’ का आयोजन किया था

जहां पर हमने लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा जांच के मुख्य क्षेत्रों की व्याख्या की थी।

वर्तमान रिपोर्ट अध्याय II, III, और IV में क्रमानुसार लेखापरीक्षा योजना और निष्पादन, लेखापरीक्षा संप्रेषण, रिपोर्ट लेखन और आन्तरिक लेखापरीक्षा आपतियों की आगे की कार्यवाही और आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा का निष्पादन निर्धारण की रूपरेखा तैयार करती है। योजना रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखापरीक्षा आपतियों पर अनुवर्ती कार्यवाही और निपटान और इसका निष्पादन संबंधी मुद्दों की प्र.सीसीए सीबीडीटी द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा इस रिपोर्ट के अध्याय V में लिखी गई हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संक्षेपण अनुवर्ती पैरा में दिया गया है। हमने प्रत्येक अध्याय के अंत में देने के अलावा भी लेखापरीक्षा सिफारिशों को कार्यकारी सार के अंत में प्रस्तुत किया है।

क. हमने पाया कि 17 सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में कार्ययोजना तैयार नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा नियमावली 2011 ने क्षेत्रीय स्तर पर कार्ययोजना की रूप-रेखा बनाने के लिए मानक फॉर्मेट निर्धारित नहीं किया है। हमने पाया कि नियोजन बाधित है क्योंकि मासिक आधार पर प्रशासनिक सीआईटी से लेखापरीक्षा योग्य मामलों की सूचना नहीं मिली है। हमने देखा कि 12 क्षेत्रों के प्र.सीसीआईटी/सीसीआईटी के तहत प्रशासनिक सीआईटी से 19 सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में नियमित रूप से लेखापरीक्षा योग्य मामलों की सूची प्राप्त नहीं की गई। 12 सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में लेखापरीक्षा योग्य मामलों की पंजिका बनाई नहीं की गई थी। जैसाकि निर्धारित मानदंडों पर आधारित लेखापरीक्षा योग्य मामलों के चयन संबंधी डाटाबेस को अनुरक्षण नहीं किया गया आंतरिक लेखापरीक्षा में उच्च जोखिम मामलों की व्याप्ति का पता नहीं लगाया जा सका (पैराग्राफ 2.2 से 2.6)।

ख. हमने देखा कि निर्दिष्ट 7,00,398 मामलों में से आंतरिक लेखापरीक्षा ने केवल 5,73,457 मामलों की जांच की जिसके परिणास्वरूप 1,26,941 मामलों की लेखापरीक्षा व्याप्ति में कमी हुई। उच्च जोखिम इकाइयों के चयन की पद्धति नहीं है। हम यह पता नहीं लगा सके कि यदि यहा प्रथम दृष्टि में गलत या पुनरावृत्तीय आपतियों की उत्पत्ति को रोकने के लिए कोई गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है (पैराग्राफ 2.9, 2.10 और 2.12)।

ग. हमने अवलोकन किया कि सात सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभारों में आंतरिक लेखापरीक्षा ज्ञापन सामायिक तौर पर जारी नहीं किए गए थे। 15 क्षेत्रों में सामयिक रूप से प्रशासनिक सीआईटी में जारी करने के लिए आंतरिक

लेखापरीक्षा रिपोर्ट बनाई नहीं गई हैं। हमें पता लगा कि 6,172 मामलों (13 क्षेत्रों) में उपचारात्मक कार्यवाही को आरंभ करने में देरी हुई और 1,640 मामलों (10 क्षेत्रों) में उपचारात्मक कार्यवाही के समापन में देरी हुई। हमने छः क्षेत्रों में ₹ 134.10 करोड़ के कर प्रभाव वाले 73 मामले देखे जहां आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां बिना उचित उत्तर या उपचारात्मक कार्यवाही के समापन के निपटाई गई (पैराग्राफ 3.2 से 3.7)।

घ. आंतरिक लेखापरीक्षा असम्मतियों के अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप 11 सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभागों में ₹ 392.65 करोड़ के कर प्रभाव वाले 1,553 मामलों में सामयिक-बाध्यता हुई। आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों की अनुवर्ती कार्यवाही और निपटान के लिए विभागीय बैठकों का आयोजन नहीं हुआ (पैराग्राफ 3.8, 3.11)।

ङ. सीबीडीटी द्वारा निर्धारित कम से कम मामलों की संख्या का वार्षिक लेखापरीक्षा लक्ष्य कुछ अधिकर क्षेत्रों में अपर सीआईटी (लेखापरीक्षा), विशेष लेखापरीक्षा दलों (एसएपीए) और आंतरिक लेखापरीक्षा दलों (आईएपीए) द्वारा 2010-11 से 2013-14 के दौरान पूरे नहीं किए गए। हालांकि सीबीडीटी के केन्द्रीय कार्ययोजना ने लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए चार महीने की समय सीमा में 100 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया पिछले वर्षों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियां अब भी लम्बित थीं। 31 मार्च 2014 तक 10,960 मुख्य लेखापरीक्षा आपत्तियां और 13,353 लघु लेखापरीक्षा आपत्तियां अब भी लम्बित थीं। 2010-11 से 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रभागों में अपर सीआईटी, एसएपी और आईएपीएस के तहत नियुक्त स्टाफ और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आईएपी की नियुक्ति में विशेष कमी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा में लगे अधिकारियों का एक वर्ष के भीतर तबादला कर दिया गया (पैराग्राफ 4.2 से 4.4, 4.6 से 4.11)।

च. हमने देखा कि प्र.सीसीए (सीबीडीटी) ने सीबीडीटी द्वारा सीमांकित कार्यक्षेत्र के अनुसार आरटीआई की लेखापरीक्षा, प्रणालियों की लेखापरीक्षा ई-भुगतान लेखापरीक्षा और वापसी की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। श्रमबल में अत्याधिक कमी के कारण वि. व 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा में 10 से 774 इकाइयों तक कमी आई। हमने आईआर के जारी होने में और आईआर जारी होने के बाद उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब की घटनाएं देखी (पैराग्राफ 5.3 से 5.5 तक)।

छ. वि. व. 2010-11 से 2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा की जाने वाली 4,921 इकाइयों में से केवल 1,213 इकाइयों (24.65 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गई तथा 3,708 इकाइयां (75.35 प्रतिशत) लेखापरीक्षा से छूट गई। पैरा के निपटान की दर बहुत निम्न थी। वि.व. 2012-13 और 2013-14 के दौरान, केवल 902 पैराओं और 1,320 पैराओं का क्रमानुसार निपटान किया गया 31 मार्च 2014 तक 13,184 लेखापरीक्षा पैरा निपटान के लिए लंबित थे (पैराग्राफ 5.10)।

लेखापरीक्षा के दौरान और ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी होने के बाद, सीबीडीटी ने आंतरिक लेखापरीक्षा की निगरानी और नियंत्रण को आगे सरल बनाने के लिए पहल की शुरुआत की। सीबीडीटी ने पूरे देश में नवम्बर 2014 में सीआईटी (सीओ) द्वारा संबंधित सीआईटी (लेखापरीक्षा)/डीआईटी (लेखापरीक्षा) के विस्तार के लिए लेखापरीक्षा योग्य मामलों पर एमआईएस उत्पन्न करने के लिए एएसटी मॉड्यूल में कार्यात्मकता को जोड़ा था। मई 2015 में प्रशासनिक सीआईटी प्रभागों के चोटी के 100 मामलों का चयन सुनिश्चित करने के लिए अपर सीआईटी द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाले मामलों के वार्षिक लक्ष्य की समीक्षा की गई तथा उसे 50 से 150 मामलों तक संशोधन किया गया। 2015-16 की प्रथम तिमाही के लिए केन्द्रीय कार्य योजना ने, सीआईटी (लेखापरीक्षा) प्रभागों जैसे कि आंतरिक लेखापरीक्षा सूत्रीकरण आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षित किए जाने वाले मामलों की संख्या, आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए बैठकों की आवृत्ति, प्र.सीसीआईटी/सीसीआईटी द्वारा प्रशिक्षण/सेमीनार का संगठन, प्र.सीआईटी/सीआईटी द्वारा बही-कार्ड का रख रखाव और 2015-16 के लिए अंतरिम कार्ययोजना के अनुसार निष्पादन की समीक्षा, की मुख्य परिणाम क्षेत्रों की समय सीमा को सीमांकित किया है। आगे प्र.सीआईटी/डीआईटी लेखापरीक्षा ने इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए निष्कर्षों को देखते हुए की जाने वाली कार्यवाही को रेखांकित करते हुए सभी प्र.सीसीआईटी और सीआईटी (लेखापरीक्षा) को विस्तृत निर्देश जारी (जून 2015) किए।